दिनांक 26.03.2021
प्रेस विज्ञप्ति 26/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु दिये निर्देश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री एच0सी0 अवस्थी द्वारा पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे/सुरक्षा, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपदों को होलिका दहन, शब–ए–बारात व होली त्यौहार के अवसर पर **कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार एवं शासन द्वारा निर्गत एसओपी/गाइड लाइन तथा मुख्यालय स्तर से समय–समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन** कराते हुये उक्त के क्रम में त्योहारों को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:–

- इस अवसर पर सभी धर्मों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से समन्वय रखते हुए उनसे निरन्तर संवाद बनाये रखें। सुदृढ़ कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी एवं निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही की जाय।
- आबकारी विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सचल दस्ते के रूप में छापेमारी व आकस्मिक चेकिंग की जाय तथा अवैध शराब बनाने वालों एवं शराब भट्ठियों तथा अन्य प्रान्त से शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय।
- मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिला अस्पताल एवं जनपद के अन्य अस्पतालों को एलर्ट पर रखा जाय और आकस्मिक चिकित्सा सेवायें दिन–रात सुचारू रखी जायें। 108 एम्बुलेन्स सेवा को एलर्ट रखा जाय तथा

मोबाइल एम्बुलेंस की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवायें एवं उपकरण उपलब्ध रहें।

- नगरपालिका के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पानी, साफ–सफाई एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाय।
- मिश्रित आबादी के क्षेत्रों, जुलूस के मार्गों विशेषकर जंक्शन प्वाईण्ट्स एवं कम्युनल हॉट स्पॉट्स पर पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती, सीसीटीवी कैमरा द्वारा सर्तकता बरती जाये।
- सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की मानीटरिंग की जाये तथा ऐसे सभी पोस्ट जो किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करते हों, उनका खण्डन करते हुये उन्हें तत्काल उस साइट से हटाने की कार्यवाही करें तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाये।
- शान्ति समितियों तथा विभिन्न आयोजकों से बैठक करके समस्त अपेक्षित व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उनकी सहभागिता प्राप्त की जाये।
- बाजारों में यथावश्यक बीडीएस टीम, स्नाईफर डॉग्स द्वारा एण्टीसेबोटाज चेकिंग करा ली जाये तथा बाजारों में पर्याप्त अग्निशमन की व्यवस्था रखी जाय।
- अराजक तत्वों को पूर्व से चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- UP-112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवदेनशील मार्गों, स्थलों पर किया जाये। थाने की स्थानीय पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों एवं यूपी–112 के पीआरवी वाहनों को राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चेक किया जाय।
- Sector/Zonal Scheme को आवश्यकतानुसार लागू करें। अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट/स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती आवश्यतानुसार की जाये।

- नियंत्रण कक्ष/उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जाये।
- मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाये।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना लोटन

- **01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्र्तराष्ट्रीय कीमत) की 10 किलो 740 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनॉकः 25.03.2021 की रात्रि थाना लोटन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भारतीय सीमा पिलर संख्याः 538 के पास से शातिर अभियुक्त गिर बहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्र्तराष्ट्रीय कीमत) की 10 किलो 740 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना लोटन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–गिर बहादुर निवासी सूर्यपुरा गैढ़वा गॉव जिला रूपनदेही राष्ट नेपाल।

बरामदगीः–

1–लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्र्तराष्ट्रीय कीमत) की 10 किलो 740 ग्राम अवैध चरस

जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 25.03.2021 को थाना इकौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सांधी नाला के पास चयपुरवा जगरावलगढ़ी सम्पर्क मार्ग सेमगढ़ा के पास पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रिंकू उर्फ सन्दीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना इकौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2021 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 20/2021 धारा 307/323/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वाछिंत चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इकौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिंकू उर्फ सन्दीप निवासी कुशहवा दा0 सेमगढ़ा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना गगहा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.03.2021 को थाना गगहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इन्द्रानगर रसूलपुर निकट बाबा सेंण्ट्रल स्कूल के पास से चेकिंग के दौरान 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रिंस चन्द्र उर्फ अंशुमान चन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गगहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2021 धारा 387/504/506 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गगहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रिंस चन्द्र उर्फ अंशुमान चन्द्र निवासी हटवा थाना गगहा जनपद गोरखपुर

जनपद बिजनौर/थाना शेरकोट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **26 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25/26.03.2021 को थाना शेरकोट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खौ नदी व शमशान के बीच बने कमरे में चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 शातिर अभियुक्त 1–सुदीप उर्फ इक्कू, 2–अमन उर्फ मुण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 26 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त सुदीप उर्फ इक्कू के विरूद्ध जनपद बिजनौर व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त अमन उर्फ मुण्डा के विरूद्ध जनपद बिजनौर व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट व आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुदीप उर्फ इक्कू निवासी मो0 जाहेडी कस्बा व थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।

2—अमन उर्फ मुण्डा निवासी चकरपुर थाना बाजपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड

बरामदगी

1—26 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे**
- **01 चोरी की चार पहिया वाहन**
- **1400 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 26.03.2021 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमालपुर वांगर मोड़ मीरापुर बाईपास के पास से चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त ओरंगजेब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 01 चोरी की चार पहिया वाहन, 1400 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओरंगजेब निवासी रहमतनगर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

3–01 चोरी की चार पहिया वाहन।

4–1400 रूपये नगद आदि।

जनपद शहाजहाँपुर/थाना कटरा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **02 खोखा कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 25.03.2021 की रात्रि थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आलमपुर से खरखडी को जाने वाले खडंजे पर गन्ने के खेत से चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त मेहरबान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 12 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 खोखा कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मेहरबान निवासी आलमपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—12 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—02 खोखा कारतूस।

3—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>जनपद मैनपुरी/थाना कोतवाली</u>

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **1200 लीटर अवैध कैमिकल**
- **40,000 खाली पव्वे, 200 ढक्कन**
- **20,000 रैपर, आदि**
- **16 पेटी देशी शराब**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 कारतूस विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि**
- **02 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 26.03.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवीन मण्डी के पास से चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1—अजीत कुमार, 2—मुकेश कुमार, 3—गोविन्द, 4—सुभाष उर्फ नंगा, 5—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1200 लीटर अवैध कैमिकल, 40,000 खाली पव्वे, 200 ढक्कन, 20,000 रैपर, आदि, 16 पेटी देशी शराब, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 कारतूस विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि, 02 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजीत कुमार निवासी नगला घनी थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

2—मुकेश कुमार निवासी नगला तुरली थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

3—गोविन्द निवासी गिहार कालौनी आगरा रोड़ थाना कोतवाली मैनपुरी।

4—सुभाष उर्फ नंगा निवासी अगौंथा थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

5—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—1200 लीटर अवैध कैमिकल।
2—40,000 खाली पव्वे।
3—200 ढक्कन।
4—20,000 रैपर।
5—16 पेटी देशी शराब।
6—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 कारतूस विभिन्न बोर।
7—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।
8—02 चार पहिया वाहन।

जनपद सहारनपुर/थाना रामपुर मनिहारन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50—50 हजार रूपये का अर्थदण्ड)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या—12 जनपद सहारनपुर द्वारा थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्त 1—मनोज, 2—सारंग, 3—अमन, 4—देवेन्द्र उर्फ बोबी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 50—50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद सीतापुर/थाना रामकोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामकोट पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 149/452/376/307/506 भादवि व 3(1)(12) व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त अशोक उर्फ टुईयाँ को आजीवन कारावास की सजा व 39 हजार रूपये के अर्थदण्ड, अभियुक्त बिल्लू को धारा 452/376/149/307/506 भादवि में आजीवन कारावास की सजा एवं 24 हजार रूपये के अर्थदण्ड, व अभियुक्त टिल्लू, अजय एवं धर्मेन्द्र को धारा 452/307/149/506 भादवि में आजीवन कारावास की सजा एवं 14—14 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एस0टी0एफ0— रूपया 25,000/— का फरार पुरस्कार घोषित अपराधी रोहित बंसल उर्फ मंत्री गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 25—03—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना खेकडा, जनपद बागपत के मु0अ0सं0 480/20 धारा 307 भादवि के अभियोग में फरार चल रहें रू0 25000/— के इनामी अपराधी रोहित बंसल उर्फ मंत्री को थाना खेकडा, बागपत पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

रोहित बंसल उर्फ मंत्री पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम घिटौरा थाना खेकडा, बागपत।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगीः</u>

शून्य

<u>गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः—</u>

दि0 25.03.2021 समयः लगभगः 20.30 बजे, नंगला बढी तिराहा, थाना क्षेत्र खेकडा, बागपत।

विगत कुछ दिनों से वॉछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाऐं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 मेरठ/गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, गौतमबुद्धनगर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से दिनांक 25—03—2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खेकडा जनपद बागपत पर पंजीकृत अ0स0ं 480/2020 धारा 307 भादवि के अभियोग में फरार चल रहा पुरस्कार घोषित अपराधी रोहित बंसल उर्फ मंत्री अपने गॉव घिटोरा से रटोल की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ नोएडा टीम द्वारा थाना खेकडा, बागपत पुलिस के साथ संयुक्त रूप से त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त रोहित बंसल उर्फ मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित बंसल उर्फ मंत्री ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 21 वर्ष है और वह हाईस्कूल पास है, उसके घर के सामने राजू पहलवान रहता है जिससे हमारी खानदानी रंजिश चली आ रही जिसकी पुत्री की शादी कुख्यात अपराधी हरेन्द्र खडखडी के साथ हुई है। वर्ष 2018 में हरेन्द्र खडखडी के भाई जितेन्द्र उर्फ जीतू खडखडी आदि ने हमारे गॉव में आकर हमारे घर पर फायरिंग की थी, इस घटना के सम्बन्ध में जनपद बागपत के थाना खेकडा मे मु0अ0सं0 482/18 धारा 323/504/506/452/307 भादवि का अभियोग दर्ज कराया गया था, जिसमे हरेन्द्र

खडखडी का भाई जितेन्द्र खडखडी एवं राजू पहलवान का भॉन्जा बब्बल जेल गये थे। इसके पश्चात राजू पहलवान ने हमारे खिलाफ थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 350/18 धारा 395/397/412 का अभियोग दर्ज कराया, जिसमे वह (रोहित उर्फ मंत्री) एवं उसका खानदानी भाई प्रवेश उर्फ भालू जेल गये थे। इसके बाद दिनांक 17—12—2020 को प्रवेज उर्फ भालू का हमारे गॉव के ही राज कुमार पुत्र ओम प्रकाश से शराब पीने के ऊपर झगडा हो गया था, इस सम्बन्ध में राज कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने हमारे खिलाफ थाना खेकडा बागपत पर मु0अ0सं0 480/2020 धारा 307 भादवि का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे पुलिस ने प्रवेज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा वह (रोहित बंसल उर्फ मंत्री) फरार चल रहा था। उल्लेखनीय है कि इसी मुकदमें में अभियुक्त रोहित बंसल उर्फ मंत्री की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक, बागपत के स्तर से रूपया 25,000/— का पुरस्कार घोषित किया गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है:—</u>

क्र0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	350/18	395/397/412 भादवि	खेकडा	बागपत
2	358/18	25 आर्म्स एक्ट	खेकडा	बागपत
3	01/19	2/3 गैगेस्टर एक्ट	खेकडा	बागपत
4	117/19	3/25 आर्म्स एक्ट	खेकडा	बागपत
5	234/19	307/353/332/216/147 भादवि	खेकडा	बागपत
6	254/20	3/25 आर्म्स एक्ट	खेकडा	बागपत
7	480/20	307 भादवि	खेकडा	बागपत

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उर्फ मंत्री को जनपद बागपत के थाना खेकडा मे मु0अ0सं0 480/20 धारा 307 भादवि के अभियोग में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना खेकडा, जनपद बागपत द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0— आजीवन कारावास की सजा से दण्डित एवं रू0 25000/— का पुरस्कार घोषित फरार कुख्यात अपराधी आनन्द सिंह गिरफ्तार

दिनाक 26—03—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद गाजीपुर निवासी सभाजीत सिंह हत्याकाण्ड में आजीवन कारावास की सजा होने के उपरान्त से फरार चल रहे रू0 25000/— के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी आनन्द सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

आनन्द सिंह पुत्र इन्द्रदेव सिंह उर्फ मुख्तार सिंह निवासी मंझनपुर थाना भुडकुडा, जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगीः

शून्य

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः—

दिनांक 26—03—2021/भुडकुडा डिग्री कॉलेज के पास थाना भुडकुडा, जनपद गाजीपुर।

विगत काफी दिनों से उ0प्र0 के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। एसटीएफ फील्ड यूनिट वाराणसी की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम द्वारा जनपद गाजीपुर में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि आज दिनांक 26—03—2021 को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि भा0ज0पा0 नेता सभाजीत सिंह हत्याकाण्ड में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित फरार 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी आनन्द सिंह भुडकुडा डिग्री कॉलेज के पास खड़ा है और किसी के आने का इन्तजार कर रहा है, यदि शीघ्रता की जाये तो

पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर वाराणसी एस0टी0एफ0 टीम ने मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर आनन्द सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त आनन्द सिंह ने पूछतांछ के दौरान बताया कि हम लोगों का अपने पट्टीदार भाजपा नेता सभाजीत सिंह से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके कारण वर्ष 2007 में मुख्य रूप मैं और मेरे भाई धीरज सिंह (पुलिस मुठभेड में मृत) ने सभाजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें हम लोग जेल चले गये। वर्ष 2008 में मैं और मेरा भाई धीरज सिंह गाजीपुर जेल कूद कर फरार हो गये थे। जेल से फरार होने के उपरान्त मैं कोलकाता (पं0बंगाल) में छुप कर रह रहा था, जहॉ पर एक मारपीट के मुकदमें गिरफ्तार हो गया, जहॉ से गैंगेस्टर के एक मुकदमें में वारण्ट—बी पर वाराणसी जेल में निरूद्ध रहा। इसके बाद जमानत पर छूट गया था। सभाजीत हत्याकाण्ड में दिनांक 08—03—2021 को जनपद न्यायालय गाजीपुर से मुझे तथा मेरे बहनोई यशवन्त सिंह को आजीवन कारावास की सजा हो गयी थी, जिसमें मैं न्यायालय में उपस्थित न होकर फरार चल रहा था। आज दिनांक 26—03—2021 को भुड़कुड़ा डिग्री कॉलेज के पास खडा था कि आप द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना भुडकुडा गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 353/07 धारा 302/120बी भादवि व 07 सीएलए एक्ट व मु0अ0सं0 369/07 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही भुडकुड पुलिस द्वारा की जा रही है।

—————————